

अमल नहीं होता, नतीजे में फरजी टिकट इन्स्पैक्टरों की बन आती है। ये फरजी इन्स्पैक्टर सैकेंड व्हिलास टिकट वाले मुसाफिरों से रकम रेंट कर उन्हें स्त्रीपर कोचों में सफर करने की इजाजत दे देते हैं। बाद में असली टिकट इन्स्पैक्टर आ जाता है तो मुसाफिर परेशान हो जाते हैं। इन हालात को रोकने के लिए ही टिकट इन्स्पैक्टरों को यूनीफार्म पहनने का हुक्म दिया गया था, जिसे उन्होंने रही की टोकरी में डाल दिया है। रेलवे अफसरान की इस लापरवाही से पब्लिक में बहुत गुस्सा है। कई बार अफसरान के दफतरों पर धरने दिए जा चुके हैं लेकिन अफसरों के कानों पर यूं तक नहीं रहेंगी। मेरा सरकार से, आपके जरिए मुतालबा है कि एक्सप्रेस गाड़ियों में जनरल कम्पार्टमेंट तादाद बढ़ाई जाए। ट्रेनों के स्त्रीपर कोचों में मुनासिब तादाद में टिकट इन्स्पैक्टर मुकर्रर किए जाएं और उन्हें यूनीफार्म पहनने की सख्ती से ताकीद की जाए और नकली टिकट इन्स्पैक्टरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए ताकि आदाम परेशानियों से छुटकारा पाए।

Need to give benefits of reservation to Scheduled Castes and Scheduled Tribes

श्री इथाम लाल (उत्तर प्रदेश) : मानवीय सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से सदन के भाष्यम से अनु.जातियों व अनु.जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों के लिए राजकीय सेवाओं में आरक्षित पदों से लाभान्वित करने हेतु शासन स्तर से स्वीकृति प्रदान करने की अवधि में ही आरक्षण सुनिश्चित किए जाने के विषय में सरकार का ध्यान आर्किव्स करना चाहता हूँ। महोदय, यह ज्ञातव्य है कि भारतीय संविधान द्वारा अनु. जातियों व अनु.जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों के लिए राजकीय/अर्द्ध राजकीय सेवाओं की चतुर्थ श्रेणी से लेकर ग्रथम श्रेणी के पदों में अनुपातिक आरक्षण, क्रमशः 16.48 व 8.08 की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर निर्धारित है। और अनु. जातियों व अनु.जनजातियों की निर्धारित सूची को ही संवैधानिक रूप दिया गया है, जो सभी राज्यों व प्रदेशों को अनुमान्य है। इन तथ्यों का संज्ञान भी लिया जाना आवश्यक है, कि उक्त प्रकाशित सूचियों के अनुकूल ही अनु. जातियों व अनु.जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों के पक्षों में प्रदत्त आरक्षण को पूर्ण करने के लिए सभी केन्द्रीयत श्रेणी की सेवाओं के पदों के विरुद्ध आरक्षण, संबंधित विभाग के मुख्यालय स्तर पर कुल पदों की नियुक्ति के लिए स्वीकृति प्रदान करते समय सुनिश्चित कर देनी चाहिए।

उदाहरण के लिए यदि 100 पदों को किसी भी विभाग द्वारा चयन व नियुक्ति करना अपेक्षित है, तो विभागाध्यक्ष के स्तर पर ही आरक्षण के सभी पदों को सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि इन पदों का विकेन्द्रीकरण जैसे 50 स्थानों पर कर दिया जाता है, तो आरक्षित पदों का लाभ संबंधित समुदाय को भिलना-संभव नहीं हो पाता है।

अतः आप के माध्यम से भारत सरकार के गृह मंत्रालय से यह मांग की जाती है कि सभी उपरोक्त समुदायों को संवैधानिक आरक्षण के लाभार्थ सभी संवर्ग व श्रेणी के पदों की स्वीकृति अवधि में ही अनुमान्य आरक्षित पदों का निर्धारण करने का समुचित आदेश दिया जाए। विभिन्न राज्यों व प्रदेशों की सरकारों द्वारा अपनाई जा रही, नई-नई विकेन्द्रीकरण व विभिन्न जातियों के आधार पर आरक्षण व्यवस्था करने से ही अलाभकारी क्रिया-कलापों पर रोक लग सके।